राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–1214/2009/पाली

सज्जन कंवर पत्नी श्री नरपतसिंह पुत्री श्री लक्ष्मणदान, जाति–चारण,
निवासी–ग्राम टोकरला तहसील देसूरी, जिला पाली .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. कुशालदान सिंह पुत्र स्वं. श्री लक्ष्मणदान सिंह जाति–चारण,
   निवासी–सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली
3. रतन सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणदानसिंह जाति–चारण,
   निवासी–घोसीवाडा, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली
4. उच्छव कंवर पुत्री स्व. श्री लक्ष्मणसिंह जाति–चारण, पत्नी श्री पदमसिंह,
   निवासी–दिल्ली दरवाजा, साहेब की कुटिया के पास, सोजत सिटी,
   तहसील सोजत जिला पाली। ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री गौरव दवे
अभिभाषक ....प्रार्थीया की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
अनुपस्थित ....अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4
श्री घनश्याम सिंह चारण .....अप्रार्थी सं 2

निर्णय दिनांक : 14.09.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) पाली (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 11.08.2009 प्रकरण संख्या 176/2008 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण में प्रार्थीया ने निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा सोजत चक संख्या–द्वितीय में खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.39 है, 1318 रकबा 0.31 है0, 1319 रकबा 0.24 है0, 1320 रकबा 0.78 है0, 1321 रकबा 1.51 है0, 1322 रकबा 0.55 है0 व 1354 रकबा 0.99 है0 कुल खसरा 7 जिसका कुल रकबा 4.77 है. कि खातेदारी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 4 के पिता लक्ष्मणदान पुत्र श्री मोतीदान के नाम चली आ रही थी जिनका स्वर्गवास होने पर आराजी का नामान्तरण उनके दो पुत्र

लगातार.....2

अप्रार्थी सं 2 व 3 के नाम नामान्तरण सं 672 दिनांक 29.12.95 कार्यालय तहसील (भू. अ.) सोजत के आदेश द्वारा दिनांक 03.01.96 का स्वीकृत किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक लक्ष्मणदान के दो पुत्रियॉ प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 4 भी है जिनको कि उक्त भूमि में समान अधिकार है, के नाम फौतदी म्यूटेशन में नाम दर्ज नहीं किया गया जिस विवादित एवं त्रुटिपूर्ण आदेश की जानकारी प्रार्थीया को दिनांक 03.11.01 को होने पर प्रार्थीया द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर.एक्ट के अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली में प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थीया की अपील दिनांक 16.05.03 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं 672 दिनांक 03.01.96 विधि एवं कानून के अनुसार नहीं होने से खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्व अप्रार्थी सं 2 द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 एलआर एक्ट प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 31.05.06 द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.03 निरस्त फरमा दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 12.06.2006 को निगरानी पेश की जो वर्तमान में विचाराधीन है। इसी दौरान अप्रार्थी सं. 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र कल्क्टर मुद्रांक पाली के समक्ष दिनांक 17.09.2008 का प्रस्तुत कर दस्तावेज हकतर्कनामा को मुद्रांकित करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11.08.2009 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 50 रू के मुद्रांक कर अदा करने पर दस्तावेज को सम्यक् मुद्रांकित किये जाने के का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 3 व 4 अनुपस्थित रहे।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि समस्त पक्षकारों विधिवत सुनवाई का आदेश प्रदान नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जिससे वाद खारिज किया जाना चाहिए था जबकि वाद स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन निर्णय अपास्त करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 14.07.2008 पेज 474 बंशीधर व अन्य बनाम हनुमान व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2008 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

लगातार.....3

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2 श्री कुशालदान की ओर से दिनांक 17.09.2008 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हकतर्कनामा दस्तावेज दिनांक 14.11.1995 को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु निवेदन किया। इस दस्तावेज रिलीज डीड द्वारा सज्जनकंवर, उच्छववकंवर पुत्रीयॉ लक्ष्मणदान द्वारा श्री कुशालदान, श्री रतनसिंह पिसरान लक्ष्मणदान के पक्ष में अपनी पैतृक सम्पति अपने भाईयों के पक्ष में तर्क की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। प्रार्थीया की ओर से उनके विद्धान अभिभाषक उपस्थित आये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिनियम की धारा 35 (1) के अन्तर्गत विचार करते हुए आर्टिकल 55 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति हक त्याग अपने भाईयों के पक्ष में होने के कारण 100 रू का मुद्रांक कर देय माना है जो अदा किया गया होने के कारण एडज्यूकेशन शुल्क 50 रू अदा करने पर दस्तावेज को सम्यक् मुद्रांकित करने के आदेश दिये है तथा दस्तावेज को समुचित मुद्रांकित प्रमाणित किये जाने का प्रमाण पत्र जारी किया है।

9. विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीया का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण वाद खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2009 प्रस्तुत किया है जो आदेशिका दिनांक 11.08.2009 द्वारा स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई है। प्रार्थीया की ओर से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 23 पर प्रार्थीया का श्री सुखदेव सिंह चारण एडवोकेट का वकालतनामा उपलब्ध है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीया अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हुई है। इस प्रकार प्रार्थीया को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर नहीं मिला।

10. प्रकरण में जहॉ तक इस बिन्दु का संबंध है कि पूर्ण मुद्रांकित करने का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 36 में विचारणीय होगा। इस संबंध में इस न्यायालय की विनम्र राय के अनुसार प्रश्नगत दस्तावेज पर मुद्रांक कर अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 55 के अनुसार मुद्रांक कर देय माना जायेगा। इस आर्टिकल के अनुसार पैतृक सम्पति का भाईयों के पक्ष में हक त्याग करने पर 100 मुद्रांक कर देय होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी अनुरूप मुद्रांक कर की देयता निर्धारित की है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नहीं है

11. जहॉ तक विद्धान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर. डी. 14.07.2008 पेज 474 का संबंध है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि एक खातेदार काश्तकार अपने अधिकारों को रिलीज डीड के माध्यम से स्थानान्तरित नहीं कर सकता। इस न्यायिक दृष्टांत में मुद्रांक कर निर्धारण के संबंध में कोई बिन्दु नहीं है जिससे प्रार्थीया को इस न्यायिक दृष्टांत से कोई सहारा नहीं मिलता है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 11.08.2009 यथावत रखा जाता हैं।

13. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य